



2026:AHC:59331

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 1529 / 2026

हिमांशू बौद्ध

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विरोधी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: सुशील दुबे

विरोधी पक्ष(गण) के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक द्वारा दायर पूरक शपथपत्र को अभिलेख पर ले लिया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील दुबे और राज्य के विद्वान ब्रीफ होल्डर श्री मनोज कुमार सिंह को सुना।
3. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 251/2025 अंतर्गत धारा 318(4), 340(2), 338, 351(2) बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन - पहासू, जिला - बुलंदशहर में विचारण लंबित के दौरान जमानत प्रदान करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है और उस पर झूठे आरोप लगाकर उसे वर्तमान मामले में अभियुक्त बनाया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि एफआईआर के अनुसार, सह-अभियुक्त नीरज यादव ने सूचनादाता को नौकरी दिलाने का झूठा वादा करके ठगा था और यह स्वीकार किया गया है कि आवेदक ने सूचनादाता से कोई पैसा नहीं लिया था और आरोप के अनुसार, आवेदक ने सूचनादाता को फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दिया था।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वास्तव में आवेदक सह-अभियुक्त नीरज यादव का मित्र है और इसी कारण उसे वर्तमान मामले में अभियुक्त बनाया गया है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि सह-अभियुक्त नीरज यादव मुख्य अभियुक्त प्रतीत होता है।
6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक का आपराधिक इतिहास चार मामलों में दर्ज है, जिनमें गैंगस्टर एक्ट का एक मामला भी शामिल है, लेकिन उसके आपराधिक इतिहास का विवरण वर्तमान जमानत आवेदन के समर्थन में दायर पूरक शपथपत्र में दिया गया है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि चार मामलों में से एक मामले में आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया गया है और दूसरे मामले में विवेचना के बाद अंतिम रिपोर्ट आवेदक के पक्ष में प्रस्तुत की गई है।
7. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में आवेदक 07.08.2025 से अर्थात् लगभग आठ माह से जेल/कारागार में है।
8. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों पर दिए गए तर्क का खंडन नहीं कर सके।
9. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और मामले के अभिलेख का परिशीलन किया।
10. हालांकि, आरोप के अनुसार, आवेदक और अन्य लोगों ने सूचनादाता को धोखा दिया, लेकिन एफआईआर से पता चलता है कि सह-अभियुक्त नीरज यादव मुख्य अभियुक्त था जिसने सूचनादाता से सम्पूर्ण राशि प्राप्त की और यह स्वीकार किया जाता है कि आवेदक को न तो कोई पैसा मिला और न ही उसके खाते में कोई पैसा स्थानांतरित किया गया।
11. इसके अतिरिक्त, आवेदक का चार मामलों का आपराधिक इतिहास है, लेकिन उसके आपराधिक इतिहास को वर्तमान जमानत आवेदन के समर्थन में दायर पूरक शपथपत्र में विवरण दिया गया है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. इसके अतिरिक्त, वर्तमान मामले में आवेदक 07.08.2025 से अर्थात लगभग आठ माह से जेल/कारागार में है।

13. इसके अतिरिक्त, स्थापित विधि यह है कि जब तक दोषी साबित न हो जाए, अभियुक्त को निर्दोष माना जाता है और जमानत आवेदन को दंडात्मक या निवारक उद्देश्य से खारिज नहीं किया जाना चाहिए।

14. अतः, ऊपर चर्चा किए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का पात्र है।

15. तदनुसार, मामले के गुण-दोषों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

16. उपर्युक्त मामले में संलिप्त आवेदक - **हिमांशू बौद्ध** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये :-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे कि वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से विमुख हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

17. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत निरस्त करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



18. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोषों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

मार्च 23, 2026

एके पाण्डेय

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।